NIC

संख्या–1325 /XVIII-(2)/18-12(4)/2018

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग

देहरादूनः दिनांक 28 जून, 2018

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2018–19 में विश्व बैंक सहायतित परियोजना उत्तराखण्ड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट (ए0एफ0) पूंजीगत मद में धनावंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक परियोजना निदेशक, पी0एम0यू0, यू0डी0आर0पी0(ए0एफ0) के पत्र संख्या–26UDRP(AF)/Acct/2018-19, दिनांक 05.05.2018 एवं कार्यक्रम निदेशक के पत्र संख्या–19/PMU/UDRP-AF/2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विश्व बैंक सहायतित उत्तराखण्ड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट(ए0एफ0) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में पूंजीगत मद में धनराशि रू0 30.00 करोड़(रू0 तीस करोड़ मात्र) अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2 उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्व बैंक के अंतर्गत संचालित उत्तराखण्ड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट(ए0एफ0) हेतु पूंजीगत मद के अंतर्गत की गयी बजट व्यवस्था ₹150.00 करोड़ के सापेक्ष धनराशि ₹30.00 करोड़ हेतु कार्यक्रम निदेशक, विश्व बैंक सहायतित परियोजना उत्तराखण्ड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट(ए0एफ0) को उपलब्ध कराये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1– स्वीकृत धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है।

2– उपरोक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार तथा विश्व बैंक के साथ सम्पन्न द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन (MOU) के अनुसार किया जायेगा।

3– उक्त स्वीकृति के सापेक्ष व्यय/समर्पित धनराशि का **लेखा मिलान** संबंधित कार्यक्रम निदेशक, पी0एम0यू0 द्वारा महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में निश्चित रूप से प्रत्येक **तीन माह** में सुनिश्चित कराया जायेगा।

4– वित्तीय वर्ष के अन्त में अवशेष धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी तथा सम्पूर्ण परियोजनाओं पर व्यय की गयी धनराशि के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में शासन व वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5– शासन द्वारा समय–समय पर जारी वित्तीय नियमों एवं निर्देशों तथा मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी दशा में बिना औचित्य के धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा।

6– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–6 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–60–अन्य भवन–051–निर्माण–9706–तकनीकी सहायता एवं क्षमता विकास (विश्व बैंक प्रोजेक्ट ए एफ)–24–वृहत् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

7— यह आदेश वित्त विभाग पत्र संख्या—69मतदेय/XXVII(5)/2018, दिनांक 25 जून,2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

<u>संख्या— (1)/**XVIII-(2)/F/18-12(04)/2018, तद्दिनांक।**</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) महालेखाकार भवन, कोलागढ़,देहरादून।
2— अपर मुख्य सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन।
3— परियोना निदेशक/कार्यक्रम निदेशक, पी0एम0यू0 उत्तराखण्ड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट (यू0डी0आर0पी0)(ए0एफ0) (विश्व बैंक सहायतित)
4— वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट(यू0डी0आर0पी0)(ए0एफ0)(विश्व बैंक सहायतित)
5— वित्त अनुभाग—05 एवं वित्त अनुभाग—07, उत्तराखण्ड शासन।
6— वरिष्ठ कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
7— बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
8— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव